

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड - II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/48/2011-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 19.12.2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री हृदेश कुमार, भा.प्र.से. (जे.के. :99) की जम्मू-कश्मीर संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के अनुमोदित कार्यकाल के बाद दिनांक 22.07.2012 से 24.01.2013 तक की अवधि तक बने रहने (ओवर स्टे) को नियमित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।



(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)